### हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासन शाखा

....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2017 की पांचवीं नियमिति बैठक की कार्यवाही, जो दिनांक 03 अक्तूबर, 2017 को अपराहन 2:00 बजे आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, कुलपित की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:—

- 1— आचार्य एस०एस० चौहान, अधिष्ठाता समाज-विज्ञान संकाय
- 2— डॉ० कमल कान्त, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय करसोग
- 3— श्री आर.आर. पटयाल, अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)हि०प्र० सरकार
- 4- श्री रिखी राम, उप सचिव (वित्त) हि0प्र0 सरकार
- 5- डॉ० (श्रीमती) श्यामा जोशी, सह-आचार्य
- 6— आचार्य एस.एस. नारटा

—कुलसचिव सदस्य—सचिव

## <u>मद संख्या—1:</u> कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2017 की पांचवीं नियमित बैठक में कुलपति महोदय ने सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

कुलपित महोदय ने परिषद को अवगत करवाया कि गत अविध के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्टियां और कार्यशालाएं आयोजित की गई:—

 दिनांक 18 व 19 अगस्त, 2017 को अधिकारी व कर्मचारी वर्ग की भर्ती एवं पदोन्नित समिति की बैठक आयोजित की गई।

- दिनांक 25 अगस्त, 2017 को विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर केन्द्र का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।
- दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान व डॉ. वन्दना शिवा, नवदन्या, नई दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- 4. दिनांक 23 सितम्बर, 2017 को शारीरिक शिक्षा विभाग के एक समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया।
- 5. दिनांक 09 सितम्बर, 2017 को राजकीय महाविद्यालय, नेरवा में आयोजित अन्तर—महाविद्यालय खो—खो खेलकूद सपर्धा के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया ।
- 6. दिनांक 21 अक्तबर, 2017 को राजकीय महाविद्यालय, संजौली में आयोजित अन्तर—महाविद्यालय कब्बड्डी खेल कूद सपर्धा के उद्धाटन् समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

तदोपरान्त कुलपित महोदय ने कुलसिचव से आग्रह किया कि वे आज के लिए प्रस्तावित मदों को कार्यकारिणी परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

मद संख्या—2: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 17—08—2017 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण।

कार्यकारिणी परिषद् ने दिनांक 17-08-2017 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण किया।

मद संख्या—3: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 17—08—2017 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण।

-----

कार्यकारिणी परिषद् ने दिनांक 17-08-2017 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को नोट कर अनुमोदित किया। मद संख्या—4: कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा—12—सी (7) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों से अवगत करवाने बारे।

.....

कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा—12—सी (7) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत कोई कार्रवाई नहीं की है।

तथापि कुलपित महोदय ने परिषद को अवगत करवाया कि किनष्ट कार्यालय सहायक (IT) के पद पर वर्तमान में जो नियुक्तियां की गई हैं अभ्यार्थियों की विरष्ठता सूची को अंतिम रूप प्रदान करते समय प्रशासन के ध्यान में यह आया कि 4–5 अभ्यार्थियों जो लिखित परीक्षा में शीर्ष स्थान पर थे तथा टंकण परीक्षा में भी उतीर्ण घोषित किए गए थे कम्पयूटर में तकनीकी खराबी के कारण इन अभ्यार्थियों के नाम मैरिट सूची में शामिल करने से छूट गए थे इस गलती को सुधारते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उक्त अभ्यार्थियों को मैरिट सूची में शामिल कर व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया और तदानुसार उपरोक्त पदों के लिए परीक्षा परिणाम घोषित कर पात्र अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। माननीय कुलपित महोदय द्वारा उढाये गए उक्त मामले को कार्यकारिणी परिषद् ने नोट कर अनुमोदित किया।

<u>मद संख्या—5</u>: कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है।

कार्यकारिणी परिषद के सम्माननीय सदस्यों से निर्धारित समयाविध के भीतर कोई मद प्राप्त नहीं हुई है।

मद संख्या—6: डॉ॰ रितू अग्रवाल, सहायक आचार्य, मनोविज्ञान विभाग का 05.
10.2016 से स्वेच्छा / बिना सूचना के अनुपस्थिति का मामला कार्यकारिणी
परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने डॉ० रितू अग्रवाल, सहायक आचार्य, मनोविज्ञान विभाग के स्वेच्छा / बिना सूचना के अनुपस्थिति के मामले पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि डॉ० रितू अग्रवाल को सी.सी.एस.नियमों(CCS Rules) के अनुसार आरोप पत्र(Charge Sheet) तय कर उन्हें उक्त पद से हटाने हेतु यथाशीघ्र आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मद संख्या—7: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा O.A. No. 2410/2017 शीर्षक श्री अश्वनी कुमार बनाम हि. प्र. विश्वविद्यालय व अन्य प्रकरण में दिनांक 12.09.2017 को पारित आदेश की अनुपालना बारे।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा O.A. No. 2410/2017 शीर्षक श्री अश्वनी कुमार बनाम हि.प्र. विश्वविद्यालय व अन्य में दिनांक 12.09.2017 को पारित आदेशों पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त प्रकरण में विश्वविद्यालय के विधिक सलाहाकार से विधिक राय लेने तथा ली गई विधिक राय के अनुरूप मामले में आगामी कार्रवाई करने हेतू कुलपित महोदय को अधिकृत करने का निर्णय लिया।

मद संख्या—8: डॉ० देविन्द्र शर्मा, सह आचार्य वाणिज्य विभाग, हि० प्र० वि० वि० शिमला—5 द्वारा वाणिज्य विभाग में आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतू किये गये निवेदन को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने हेतू।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने मामले पर विस्तार से चर्चा उपरान्त डॉ० देविन्द्र शर्मा, सह आचार्य वाणिज्य विभाग की उक्त विभाग में सह आचार्य के पद पर कार्य ग्रहण की तिथि अर्थात 27.01.2016 से आचार्य के पद पर पदोन्नित हेतू अपनी स्वीकृति प्रदान की।

To place before the Executive Council the recommendations of the Committee constituted to formulate Guidelines and Procedure to deal with any instance of use of fake scheduled caste/ Scheduled tribes/ Other Backward classes Certificate to get admission in the H.P. University/ Colleges affiliated to/ maintained by the H.P. University

duly approved by the Academic Council in its meeting held on 03-08-2017 vide item No. 6 for its consideration and decision.

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या—10: शैक्षणिक परिषद की नियमित बैठक दिनांक 03—08—2017 में लिए गए निर्णयों को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु मामला प्रस्तुत करने बारे।

......

कार्यकारिणी परिषद ने शैक्षणिक परिषद् की दिनांक 03-08-2017 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों को **संलग्नक** के अनुरूप निम्न टिप्पणी के साथ अनुमोदित किया:-

"(मद संख्या—7)ः कार्यकारिणी परिषद ने मद पर चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान में कार्यरत शोध अधिकारियों के पदनाम को सहायक आचार्य के पदनाम में परिवर्तित करने का मामला शैक्षणिक परिषद् के क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं, का परीक्षण कर मामला शैक्षणिक परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।"

मद संख्या—11: भर्ती एवं पदोन्नित समिति की अनुभाग अधिकारी, समकक्ष तथा उससे ऊपर की श्रेणियों के लिए दिनांक 19.08.2017 अपराह्न 2.30 बजे हुई बैठक की कार्यवाही को कार्यकारिणी परिषद् की परिचालन द्वारा दिनांक 22.08.2017 को मद संख्या—1 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुसार परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने बारे।

•••••

कार्यकारिणी परिषद ने भर्ती एवं पदोन्नित समिति की अनुभाग अधिकारी, समकक्ष तथा उससे ऊपर की श्रेणियों की दिनांक 19.08.2017 को हुई बैठक की कार्यवाही जिसे कार्यकारिणी परिषद् ने परिचालन द्वारा दिनांक 22.08.2017 को हुई बैठक में मद संख्या—1 के अन्तर्गत अनुमोदित किया था पर कुलपित महोदय द्वारा की गई कार्रवाई को नोट कर अनुमोदित किया।

 the said Ordinances) under Sub-heading "Eligiblity Criteria for Ph.D. Supervisor of the Ordinances 16.4(a) and 16.4(b) in the matter of allocation of Research Supervisors to Research Scholars as approved by the Executive Council vide Resolution No. 19 of its meeting held on 23.03.2017 as per the UGC Regulations 2016.

.....

कार्यकारिणी परिषद ने महाविद्यालय शिक्षकों को पीएच.डी. पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियामक 2016 में पीएच.डी. पर्यवेक्षक हेतू निर्धारित मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय अध्यादेश 16.4(a) and 16.4(b) में निम्नलिखित प्रस्तावित संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान की:—

### **Existing Provision**

# Doctor of Philosophy(Ph.D.) 16.4(a) Eligibility Criteria for Ph.D Supervisor:

To be eligible to be appointed as Supervisor a person should be a teacher in the H.P. University and must have himself obtained a research degree or must have already guided the research of Ph.D. candidate in a University established by law.

In case an outside expert is associated for supervision of the candidate he/she shall have to work under the joint supervision of maximum two persons (one member from the concerned department and the outside expert will act as Co-Supervisor). In case of interdisciplinary research the candidate has to work uder the ioint supervision of maximum two persons (at least one from the concerned discipline in HPU).

A Supervisor shall not have at any given point of time, more than eight(8) Ph.D. Scholars. The number of candidates to be supervised or jointly supervised

## **Proposed Amendments**

# 16.4(a) Eligibility Criteria for Ph.D Supervisor:

Allocation of Research Supervisor: Eligibility criteria to be a Research Supervisor, Co-Supervisor, Number of M.Phil/Ph.D. scholar permissible per Supervisor etc. as per the UGC Regulations 2016.

i) Any regular Professor of the Himachal Pradesh University/ Institution/Colleges affiliated to/ maintained by H.P. University with at least five research publications in referred journals and any regular Association/Assistant Professor the H.P. niversity/Institution/Colleges affiliated to/maintained by H.P. University with a Ph.D. Degree and at least two research publications in referred journals may be recognized as Research Supervisor.

Provided that in areas/disciplines where there is no or only a limited number of referred journals, the Institution may relax the above condition for recognition of a person as Research Supervisor with reasons recorded in writing.

ii) Only a full time regular teacher of the

shall not exceed the aforesaid number.

(b) Allocation of Supervisor: The allocation of the supervisor for selected student shall be decided by the department in a formal manner depending on the number of students per faculty member. The available specialization among the faculty supervisors, and the research interest of student as indicated during the interview by the students. The allotment

/allocation of supervisor shall not be left to the individual student or teacher.

concerned University/institution
Deemed to be a University/College can
act as a Supervisor. The external
Supervisors are not allowed. However,
Co-Supervisor can be allowed in interdisciplinary areas from other
departments of the same institute or
from other related Institutions with the
approval of the Research Advisory
Committee.

- iii) The allocation of Research Supervisor for a selected research scholar shall be decided by the Department concerned depending on the number of scholars per Research Supervisor available in the department.
- iv) In case of topic which are of interdisciplinary nature where the Department concerned feels that the expertise in the Department has to be supplemented from outside, the Department may appoint a Research Supervisor from the department itself, who shall be known as the Research Supervisor, and a Co-Supervisor from outside the Department/Faculty/

College/Institution on such terms and conditions as may be specified and agreed upon by the consenting Institution/Colleges.

- v) A Research Supervisor/Co-Supervisor who is a Professor, at any given point of time, cannot guide more than three(3) M.Phil. and eight(8) Ph.D. scholars, an Associate Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of two (2) M. Phil and six(6) Ph.D. scholars and an Assistant Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of one(1) M.Phil and four(4) Ph.D. scholars.
- vi) In case of relocation of an M.Phil/Ph.D. woman scholar due to

marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the University to which the scholar intends to relocate provided all the other conditions in these regulations are followed in letter and spirit and the research work does not pertain to the secured by the Institution/Supervisor from funding agency. The Scholar will however give due credit to the parent guide and the Institution for the part of research already done.

मद संख्या—13: भर्ती एवं पदोन्नित की तकनीकी स्टाफ (निर्माण विंग) के लिए दिनांक 28.09. 2017 अपराह्न 2:00 बजे हुई बैठक की कार्यवाही कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने तकनीकी स्टाफ (निर्माण विंग) की भर्ती एवं पदोन्नित की दिनांक 28.09.2017 को हुई बैठक की कार्यवाही को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया।

मद संख्या—14: O.A. No. 4483/2017 में दिनांक 31.08.2017 को पारित निर्देश के अनुसार डॉ० संजीत शर्मा को सहायक आचार्य के पद पर वाणिज्य प्रशासन, यू.सी.बी.एस., शिमला—4 को नियुक्ति पत्र जारी करने के सन्दर्भ में।

कार्यकारिणी परिषद ने माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा O.A. No. 4483/2017 में दिनांक 31.08.2017 को पारित आदेशों पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त प्रकरण में विश्वविद्यालय के विधिक सलाहाकार से विधिक राय लेने तथा ली गई विधिक राय

के अनुरूप मामले में आगामी कार्रवाई करने हेतू कुलपित महोदय को अधिकृत करने का निर्णय लिया। मद संख्या—15ः राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त पत्र संख्याः 4—66 / 83—जीएस—III दिनांक 26. 09.2017 में डॉ० डेजी वर्मा सहायक आचार्य (अंग्रेजी) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला, कांगड़ा (हि०प्र०) को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला—5 में एक वर्ष के लिए आंतरिक प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण का मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के संन्दर्भ में।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने डॉ० डेजी वर्मा सहायक आचार्य (अंग्रेजी) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला द्वारा माननीय कुलाधिपति को स्थानान्तरण बारे सौंपे गए आवेदन और उस पर माननीय कुलिधपित महोदय द्वारा पारित आदेशानुसार डॉ० डेजी वर्मा, सहायक आचार्य(अंग्रेजी) का विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर में एक वर्ष की अविध के लिए आंतरिक प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि उक्त क्षेत्रीय केन्द्र में सम्बन्धित विषय में अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या यदि 10 से कम हो।

अंत में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

हस्ता0 / — (आचार्य एस.एस. नारटा) कुलसचिव सदस्य—सचिव

पृष्टिकरण

हस्ता० / —

(आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान) कुलपति / सभापति